न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण सं.01, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन न्यायाधीश : किशन लाल चौधरी,
(रा.न्या.से.) जिला न्यायाधीश संवर्ग,

सीआईएस बेल सं. 812/2025
विविध दाण्डिक प्रार्थना पत्र सं. 962/2025

सुखाराम पिता मगना राम उर्फ मंगाराम जाट, निवासी खिवताना, थाना डेगाना, जिला नागौर (राज.) **–प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशेष लोक अभियोजक, चित्तौड़गढ़ (राज.) **–विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 158/2022, थाना मंगलवाड़
अपराध धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थितिः–
(1) श्री किशन गाडन, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
(2) विशेष लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से।

–:: आदेश ::– **दिनांकः 11.09.2025**

01. प्रार्थी/अभियुक्त **सुखाराम** की ओर से जमानत का यह **प्रथम** आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नकल विशेष लोक अभियोजक को दिलवाई गई। बहस जमानत उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

02. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठे आधार पर गलत फंसाया गया है। बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है जिससे प्रकरण में धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रकरण में सह–अभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय से हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी एवं शिनाख्तगी का प्रश्न शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित पते का स्थाई निवासी होकर उसके फरार होने का अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

03. विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2022 को थानाधिकारी मंगलवाड़ मय जाब्ता के मंगलवाड़ चौराया से मोरवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी के दौरान स्वीफ्ट कार नं. आरजे 14 सीएम 4110 में चालक **ओमाराम तथा बुद्धाराम** की उपस्थिति में विधिनुसार तलाशी लिये जाने पर **दो प्लास्टिक कट्टों में कुल 45 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा मय बारदान** के बरामद हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त **सुखाराम** के विरूद्ध धारा **8/25 एनडीपीएस एक्ट** का अपराध जांच अधिकारी ने अनुसंधान में प्रमाणित पाया है।

05. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **सुखाराम पर धारा 8/25** के अपराध का आरोप है। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त **सुखाराम दिनांक 08.09.2025** को गिरफ्तार हुआ है, तब से अभिरक्षा में है। यह प्रकरण **45 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा मय बारदान** की बरामदगी का है, जो मात्रा व्यावसायिक श्रेणी की नहीं है। जिसमें धारा 39 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सह–अभियुक्तगण **ओमाराम तथा बुद्धाराम** का जमानत आवेदन–पत्र इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दोनों अभियुक्तगणों को जमानत का लाभ दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध सह–अभियुक्तगण **ओमाराम तथा बुद्धाराम** से लघु प्रकृति का है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अंवीक्षा में समय लगेगा। प्रकरण में जब्त अवैध अफीम डोडा चुरा की मात्रा एवं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बितायी गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों देखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बाबूलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 50,000/–रूपये का मुचलका व 25,000–25,000/–रूपये राशि की दो Sound and Solvent Surities इस न्यायालय की संतुष्टिनुसार पेश कर तस्दीक करवा देवे तो आवेदक/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जाए। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकार के अपराध की पुनर्रावृति नहीं करेगा, अभियुक्त प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा, बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा तथा गवाहान को प्रतिकुलतः प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त सात दिवस के भीतर अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ पत्रावली पर प्रस्तुत करेगा, प्रार्थी के रिहाई आदेश में नोट अंकित किया जाए कि यदि आवेदक/अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे इस प्रकरण में तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(किशन लाल चौधरी)

07. आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशन लाल चौधरी)